

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 56/2009 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2009/00007)

अनवान:

1. बजरंग लाल पुत्र स्व. श्री नरसाराम जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. विष्णु दत्त पुत्र स्व. श्री नरसाराम जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर (फौत)।
  - 1/1. तारा सुन्दरी पत्नी विष्णु दत्त जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर।
  - 1/2. किसन गोपाल पुत्र विष्णु दत्त जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर।
  - 1/3. मनोज कुमार पुत्र विष्णु दत्त जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर।
  - 1/4. गंगा पुत्री विष्णु दत्त जाति ब्राह्मण निवासी सीथल तहसील व जिला बीकानेर।
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री नरसाराम धर्मपत्नि श्री रामकिसन पंचारिया निवासी हाल कुम्हारों का बास, गंगाशहर, बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर।



14.7.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर